सं. 31011/3/2016-स्था.(क.IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 25 अप्रैल, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988, 5-12 आयु वर्ग के बच्चों के संबंध में एलटीसी पर रेल किराए की प्रतिपूर्ति के संबंध में।**

रेलवे बोर्ड के 2015 के परिपत्र सं. 71 के अनुसार रेलवे मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि 5 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों के लिए पूरा किराया वसूला जाएगा जिनके लिए आरक्षण के समय पूरी बर्थ/सीट की मांग की जाती है, यहां यह उल्लेख किया जाता है कि यदि 5 वर्ष से उपर और 12 वर्ष से कम के बच्चों के लिए बर्थ/सीट की मांग आरक्षण के समय नहीं की जाती है तो वसूली जानी वाली न्यूनतम दूरी के अध्यधीन वयस्क व्यक्ति के लिए प्रभारित किए जाने वाले किराए का आधा किराया वसूला जाएगा। यह दिनांक 10.04.2016 से की जाने वाली यात्रा के लिए प्रभावी होगा।

2. इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इस विभाग को इस आशय का स्पष्टीकरण मांगने के लिए अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि क्या रेलवे द्वारा 5 वर्ष और 12 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की बर्थ के आरक्षण के लिए वसूले गए पूरे किराए की प्रतिपूर्ति एलटीसी सुविधा का लाभ उठाने के दौरान होगी।

3. इस मामले की व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि सरकारी सेवक के 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु के पारिवारिक सदस्यों के लिए सरकारी सेवक द्वारा खरीदे गए रेल टिकट के विकल्प के अनुसार वास्तविक रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सूर्य नारायण झा 25.4.16

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित (का.ज्ञा./आदेश->स्थापना->एलटीसी नियम)